न्यायालय सिविल जज (जू०डि०), उत्तरी, लखनऊ

उपस्थित– शैलेश कुमार सिंह, उ०प्र० न्यायिक सेवा

प्रकीर्णवाद संख्या–95/2026

सी.एन.आर.– UPLK060004142026

सैय्यद राज हुसैन राणा **बनाम** **संजय शर्मा व 6 अन्य**

दिनांक–10.02.2026

पुकार पर वादी के विद्वान अधिवक्ता उपस्थित हुए। वाद की पोषणीयता की बिंदु पर वादी के विद्वान अधिवक्ता को सुना गया। वादी के विद्वान अधिवक्ता द्वारा कहा गया कि वादी भाजपा का सक्रिय कार्यकर्ता है, जिसके कारण उसके पक्ष में वाद कारण उत्पन्न हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री, चुनाव आयोग व अन्य संवैधानिक संस्थाओं के प्रति मानहानि कारक समाचार यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर चलाए जाने के कारण वर्तमान वाद लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री के प्रति असम्मानजनक शब्दों के प्रयोग के कारण तथा जनतांत्रिक संस्थाओं के प्रति गुमराह करने वाली सूचनाओं के प्रसारण के कारण उनके प्रति जन विश्वास की कमी होने से वादी को पार्टी के कार्यकर्ता होने के कारण वाद लाने का अधिकार है। अतः वादी की ओर से निवेदन किया कि वादपत्र को वाद के रूप में दर्ज कर यूट्यूब व अन्य सोशल मीडिया प्लेटफार्म पर अपलोड किये गये वीडियो को तत्काल हटाने का निर्देश दिया जाय।

अभिलेख का अवलोकन किया। अवलोकन से दर्शित होता है कि वादी के द्वारा 4 PM न्यूज नेटवर्क प्रा० लि० व उसके निदेशक/संपादक, गूगल एलएलसी(यूट्यूब), मेटा प्लेफार्मस आईएनसी, मेटा प्लेफार्मस इंडिया प्रा०लि०, एक्स कार्पोरेशन व ट्विटर कम्यूनीकेशन्स इंडिया प्रा०लि० के विरूद्ध वाद लाया गया है। वादपत्र में यह अभिलिखित है कि वादी भारत का नागरिक है तथा भारतीय जनता पार्टी पलिया जिला लखीमपुर खीरी का अल्पसंख्यक फ्रंट का प्रभारी है। प्रतिवादी संख्या–1 प्रतिवादी संख्या–2 संपादक व निदेशक हैं तथा कन्टेन्ट का निर्माण करते हैं, जिसके कारण वे मानहानिकारक वीडियो के लिए व्यक्तिगत रूप से जिम्मेदार हैं। प्रतिवादी संख्या–3 मध्यवर्ती कंपनी है,जो कि ऐसे वीडियोज़ को संधारित , प्रसारित व उपलब्ध कराते हैं। प्रतिवादी संख्या–4 व 5 भी मध्यवर्ती कंपनियाँ हैं, जो सोशल मीडिया प्लेटफार्म को संचालित व प्रशासित करती हैं। प्रतिवादी संख्या–6 व 7 भी मध्यवर्ती कंपनियाँ हैं, जो एक्स नामक सोशल मीडिया प्लेटफार्म को संचालित करती हैं। प्रतिवादी संख्या–1 उपरोक्त सोशल मीडिया प्लेटफार्म के उपभोक्ता हैं तथा उन पर उनका 4 PM न्यूज नेटवर्क नाम का समाचार चैनल है, जो कि उपभोक्ता आधारित तरीके से कार्य करता है। प्रतिवादी संख्या–1 व 2 सोशल मीडिया प्लेटफार्म यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम व एक्स(पूर्व नाम ट्विटर) के माध्यम से अत्यधिक समय से मानहानि कारक श्रृंखला बद्ध वीडियो पब्लिश कर रहे हैं। आक्षेपित वीडियो मानहानिकारक व विधितः संवेदनशील हैं।

वादी के द्वारा वादपत्र में माननीय प्रधानमंत्री व चुनाव आयोग तथा सरकारी कर्मचारियों के बारे में आक्षेपित वीडियो के द्वारा मानहानिकारक बातें पब्लिश किया जाना अभिकथित किया गया है। वादी द्वारा

अपने अभिवचन में इस प्रकार के किसी भी तथ्य का प्रकटीकरण नहीं किया गया है, जो यह दर्शित करता हो कि वास्तव में प्रतिवादीगण द्वारा कारित कृत्य के परिणामस्वरूप उसके किसी विधिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ हो, जिसके लिए उसे वाद दायर करने हेतु वाद हेतुक है अपितु वादपत्र में उल्लिखित तथ्य इस बात को इंगित करते हैं कि वादी द्वारा भारत गणराज्य के प्रधानमंत्री के विरूद्ध, चुनाव आयोग के विरूद्ध व संवैधानिक संस्थाओं के विरूद्ध आपत्तिजनक टिप्पणी प्रतिवादी संख्या–1 के द्वारा किये जाने से व्यथित होकर यह वाद दाखिल किया गया है, परंतु उसके द्वारा इस संबंध में कोई ऐसा दस्तावेज वादपत्र के साथ प्रस्तुत नहीं किया गया है,जो यह दर्शित करता हो कि उक्त व्यक्तियों/संस्थाओं द्वारा वादी को, उनकी प्रतिष्ठा को धूमिल करने के संबंध में वाद दाखिल करने हेतु अधिकृत किया गया हो। मात्र स्वयं को किसी राजनैतिक दल का कार्यकर्ता के रूप में प्रस्तुत करते हुए वादी द्वारा वाद दाखिल किया गया है, जबकि वादपत्र में उल्लिखित तथ्यों के अवलोकन से स्पष्ट है कि प्रतिवादीगण द्वारा भारत के संवैधानिक संस्थाओं, भारत के प्रधानमंत्री आदि के विरूद्ध आपत्तिजनक समाचार का प्रकाशन अपने यूट्यूब चैनल,ट्विटर आदि के माध्यम से किया जाना कहा गया है। माननीय उच्चतम न्यायालय ने **टी.अरिवंदनदम बनाम टी.वी.सत्यपाल व अन्य (1977) 4 SCC 467** के मामले में यह धारित किया है कि *....if on a meaningful-not formal-reading of the plaint it is manifestly vexatious, and meritless, in the sense of not disclosing a clear right to sue, be should exercise his power under Or. VII r. 1 1 C.P.C. taking care to see that the ground mentioned therein is fulfilled. And, if clever, drafting has created the illusion of a cause of action, nip it in the bud at the first hearing by examining the party searchingly under Order X C.P.C. An activist Judge is the answer to irresponsible law suits. The trial court should insist imperatively on examining the party at the first bearing so that bogus litigation can be shot down at the earliest stage...*

अतः वादपत्र के तथ्यों के संबंध में उपरोक्त विश्लेषण किये जाने तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा अवधारित उपरोक्त विधिक सिद्धांतों के आलोक में न्यायालय का यह मत है कि वादी को वर्तमान वाद दाखिल करने हेतु कोई वाद हेतुक नहीं है।

आदेश

अतः वादपत्र सिविल प्रक्रिया संहिता,1908 के आदेश 7 नियम 11(क) के अंतर्गत नामंजूर किया जाता है। डिक्री तैयार किया जाय। तदनुसार वर्तमान प्रकीर्णवाद निस्तारित किया जाता है। पत्रावली आवश्यक कार्यवाही पश्चात् दाखिल दफ्तर हो।

10/02/2026

(शैलेश कुमार सिंह)

सिविल जज (जू0 डि0)नार्थ,
लखनऊ
जे०ओ० कोड–**UP03462**